

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-02.10.2025

सेवा में

RAMDEW MODI,
LARABAD, KODERMA.

विषय:- R P MODI INTERNATIONAL SCHOOL, कोडरमा स्कूल भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में निर्मित स्कूल भवन भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रमारी अग्निशमालय पदाधिकारी, कोडरमा से कराई गई। उनके ज्ञापांक-342 दिनांक-13.09.2025 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण निर्गत किया जाता है कि :-

1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. स्कूल भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरंत रिफिलिंग करा लेंगे।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है।
8. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें स्कूल में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
9. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
10. First Aid Fire Fighting and डाउन कमर सिस्टम को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
11. Smoke Detectors को वैकल्पिक पावर से हमेशा जोड़कर रखा जाय ताकि किसी भी परिस्थिति में उसका स्वचालन बाधित न हो सके।
12. स्कूल भवन में किसी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. समय-समय पर सभी हाईड्रैण्ट एवं Hose Reel Hose को फलश आउट किये जाने की व्यवस्था की जाय।
14. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
15. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
16. संबंधित स्कूल भवन में कभी भी किसी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित स्कूल भवन को दिये गये अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र को जाँचोपरांत कभी भी रद्द किया जा सकता है।
17. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण दिनांक-30.09.2026 तक के लिये मान्य है।

JITENDRA TIWARY

Digitally signed by JITENDRA TIWARY
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=JITENDRA TIWARY, postalCode=834004,
2.5.4.20=899479c7e5211a1c0c5c11c3008f4b20578b7b9c9c9deb7a545baaf00, postalCode=834004,
st=Jharkhand, serialNumber=c2ef340558c08a2b3cdeb128b7396c9d35681281729c3d8961d7e6d816,
cn=JITENDRA TIWARY
Date: 2025.10.02 01:10:04 +05'30'

(जीतेन्द्र तिवारी)

प्रमारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी
झारखण्ड, राँची।